PD OK

शहरी विकास विभाग
9वॉं तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय,
आई. पी इस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या :– 91
दिनांक :– 09/08/2017
प्रश्नकर्त्ता का नाम :– श्री पंकज पुष्कर
क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
(क) दिल्ली की सड़को के फुटपाथ पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा तहबाजारी स्वीकृत करने की क्या नीति है;	**उत्तरः–उत्तरी दिल्ली नगर निगम**
(ख) क्या फुटपाथों पर स्थायी (पक्की) दुकानें बनायी जा सकती हैं;	पटरी विक्रेता आजीविका सरक्षण और पटरी विक्रेया विनियम अधिनियमता 2014 के लागू होने तथा टाउन वेडिंग कमेटी का गठन ना होने के कारण वर्तमान में ऐसी कोई नीति स्वीकृति नही है।
(ग) यदि हॉ, तो उनका आकार क्या होना नियम संगत है;	
(घ) फुटपाथों पर तहबाजारी की पक्की दुकानों के स्थापित होने के बाद फुटपाथ पर चलने के लिए कितनी जगह बची रहनी नियम संगत है;	
(ड) दिल्ली की सड़कों के फुटपाथ पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग की अनुमति देने की क्या नीति है;	दिल्ली की सड़कों के फुटपाथ पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग पर विज्ञापन का अधिकार Outdoor Advertisement Policy-2007 के तहत दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है।
(च) ये यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग रेडलाईट से कितनी दूरी पर लगे होने नियम संगत है;	ये यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग रेडलाईट से 75 मीटर की दूरी पर लगे होने का नियम है।
(छ) क्या ये यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग ऐसी जगह लगाये जा सकते हैं जिसस यातायात प्रभावित होता हो; और	नहीं, ये यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग ऐसी जगह नहीं लगाये जा सकते हैं जिससे यातायात प्रभावित होता हो।
(ज)सरकार का ऐसे विज्ञापन होर्डिंग्स पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और ऐसे होर्डिंग्स कब तक हटा दिए जायेंगे?	संज्ञान में आने पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समय–समय पर कार्यवाही की जाती है। विज्ञापन विभाग मुख्यालय द्वारा भी समय–समय पर अनाधिकृत रूप से लगाये गये होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई की जाती है।